



# झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



---

संख्या - 472 राँची, शुक्रवार, 28 आषाढ़, 1946 (श०)  
19 जुलाई, 2024 (ई०)

---

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

-----

अधिसूचना

6 जून, 2024

संचिका संख्या-4/ प्रोन्नति-202/2015 का० 3851--W.P(S) No- 2598/2015 संजय कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य वाद में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक 06.11.2017 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में विभागीय अधिसूचना संख्या 2095 दिनांक 15.03.2024 द्वारा श्री संजय कुमार, तत्कालीन वरीय सचिवालय सहायक, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को उनकी शैक्षणिक योग्यता की सम्पुष्टि की तिथि दिनांक 12.05.2015 के प्रभाव से झारखण्ड सचिवालय सेवा के अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (पी.बी-II, रु० 9300-34800/- ग्रेड पे. रु० 4600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-7) के पद पर आर्थिक लाभ सहित भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया ।

2. अवमाननाबाद Cont. Case (Civil) No. 273/2024 में दिनांक 17.05.2024 को पारित अन्तरिम न्यायादेश के अनुपालन में श्री संजय कुमार के मामले में निम्नांकित निर्णय लिया गया है :-

- (i) श्री संजय कुमार को नैसर्गिक न्याय के तहत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति द्वारा नियुक्त का वर्ष 2015 से उक्त अधिसूचना के निर्गत होने के वर्ष 2024 तक की वार्षिक वेतनवृद्धि अनुमान्य किया किया जाता है ।
- (ii) इस हेतु श्री संजय कुमार के मामले में झारखण्ड सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 के नियम-14 (1), जो राजस्व पर्षद द्वारा संचालित टंकण जाँच/कम्प्यूटर साक्षरता परीक्षा में उत्तीर्णता से सम्बन्धित है, को क्षान्त किया जाता है ।
- (iii) अधिसूचना निर्गत होने का वर्ष 2024 के पश्चात् प्राप्त होने वाली वेतनवृद्धि अगले 02 (दो) वर्षों की अवधि के भीतर राजस्व पर्षद द्वारा संचालित टंकण जाँच/कम्प्यूटर साक्षरता परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करने के पश्चात् अनुमान्य होगी ।

3. राजस्व पर्षद द्वारा संचालित टंकण जाँच/कम्प्यूटर साक्षरता परीक्षा में उत्तीर्णता से सम्बन्धित मामलों में इसे पूर्वोद्धारण नहीं समझा जाएगा ।

4. विभागीय संलेख संख्या 3814 दिनांक 05.06.2024 के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में माननीय मुख्यमंत्री का दिनांक 06.06.2024 को अनुमोदन प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अनल प्रतीक मिंज,**  
सरकार के उप सचिव ।

-----